# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.**

वाद पत्र संख्या 11/2020

अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

हरदत सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक 4 ई छोटी तह० व जिला श्रीगंगानगर ..... वादी

**ब ना म**

1. शीला देवी उर्फ सुशीला देवी पत्नी जयपाल सिंह जाति जाट निवासी एस०पी० रेजीडेंसी सामने, के नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा) ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर
3. धर्मवीर सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जाट निवासी चक 4 ई छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर
4. सनपति पत्नी अनूप सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक 4 ई छोटी तह0 व जिला श्री गंगानगर ।

..... **प्रतिवादी गण**

| | |
|---|---|
| उपस्थित–अधिवक्ता श्री राजेश ग्रेवाल | वादी |
| अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह | प्रतिवादी 1 व 4 |
| पैरोकार राज | प्रति.–2 |

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक 24.12.2025**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा उसका पेशा काश्तकारी है। वादी का रजिस्टर्ड पता जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 ( क ) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है, वह वही है जो शीर्षक वाद में अंकित है, वाद दो प्रतियों में पेश है तथा वाद के समर्थन में वादी का शपथ पत्र शामिल है। प्रतिवादी सं० 3,4 वादी के साथ दावा में सहमत है मगर आज रोज साथ ना होने से तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है जबकि डिक्री वादी व प्रतिवादी सं० 3, 4 के हक में चाही जा रही है। प्रतिवादी सं0 1 वादी की सगी बहिन है, जिसके नाम से चक 4 ई छोटी के खाता सं0 44/42 वर्तमान खाता सं0 59/44, मु0 न० 14, 15, 16, 20, 29 की कुल 25.301 है0 में से 1139/25301 हिस्सा अर्थात् 1.112 है0 खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी संवत् 2069–72 व चालू जमाबंदी 2073–76 की नकलें शामिल है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में से 4/6 हिस्सा वादी को व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 को अरसा दराज से पारिवारिक समझौता के द्वारा दिया हुआ है, अतः कब्जा वादी का प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में से 4/6 हिस्सा पर व प्रतिवादी सं0 3 व 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा 1/6 हिस्सा पर चला आ रहा है, आज भी वादी व प्रतिवादी सं0 3, 4 मौके पर काबिज है। वादी व प्रतिवादी सं0 3,4 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में भारी मेहनत व काफी रुपया लगाकर सुधारा हुआ है, पारिवारिक समझौता के आधार पर इंतकाल ना हो पाने के कारण व उपरोक्त भूमि आज भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होने से कीमत में बढोतरी हो जाने के कारण प्रतिवादी सं० 1 कुछ लोगों के बहकावे में आयी हुई होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी व प्रति0 3 व 4 को जबरन बेदखल करने/करवाने के प्रयास में है तथा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं0 34 के नाम दर्ज ना होने का अनुचित लाभ उठाकर मुंतकिल करने के प्रयास में है, यदि वह इसमें सफल हो गई तो वादी व प्रतिवादी सं0 3,4 को भारी नुकसान होगा, वह अपने अधिकारों तथा परिवार के जीवन निर्वाह से वंचित होगे, अतः यह दावा लाना आवश्यक हो गया है, जिससे कि अधिकारों की घोषणा करवायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 का नाम हटवाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 3,4 का नाम दर्ज करवाया जा सकें अर्थात् खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज करवायी जा सकें। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से बार बार आग्रह किया कि वह उसके नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में से वादी को 4/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हकदार पारिवारिक समझौता के आधार पर मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये मगर प्रतिवादी सं० 1 लालचवश होने तथा गलत लोगों के प्रभाव में होने के कारण टालमटोल करते हुए दिनांक 16.02.20 को साफ इंकारी है, अतः यही बिनाए मुखासमत है। क्योंकि प्रतिवादीया अन्य लोगों से भूमि विक्रय करने की बातचीत करने लगी है, अतः शीघ्र ही दावा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः वाद वादी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश है। प्रतिवादी सं0 2 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है, इसलिए पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादी, बहक वादी व प्रति0 सं0 3,4 खिलाफ प्रतिवादी सं0 1 निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 4 ई छोटी, खाता सं0 24/42, वर्तमान खाता सं0 59/44, मु० न० 14, 15, 16, 29 की कुल 25.301 है0 में से 1139/25301 हिस्सा अर्थात् 1.112 है0 में से वादी को वाद पत्र में अंकित कारणों से 4/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार व प्रतिवादी सं० 3 को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 4 को 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादीया सं0 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने, वादी व प्रतिवादी सं0 34 के नाम भूमि खातेदारी दर्ज करने मामला लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावें ।
(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावें ।
(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो दिलाया जावें ।

**वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।** प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मन प्रतिवादी, प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में से 1/6 हिस्सा पर पारिवारिक समझौता पर काबिज चला आ रहा है तथा मन प्रतिवादी ने भी अपने कब्जा की भूमि में भारी मेहनत व काफी रुपया लगाकर सुधार किया हुआ है तथा अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। लिहाजा जवाब दावा पेश करके अर्ज है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 1/6 हिस्सा का मन प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार दावा की चरण सं0 3 में यह स्वीकार है कि मन प्रतिवादीया ने पारिवारिक समझौता में वाद पत्र की चरण सं0 2 में दर्ज कृषि भूमि में से 4/6 हिस्सा वादी को दिया हुआ है, जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है तथा 1/6 प्रतिवादी 3 को तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 को दिया हुआ है, जिस पर कब्जा इन प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। मन प्रतिवादीया के द्वारा जो पारिवारिक समझौता में वादी व प्रतिवादी सं0 3,4 को भूमि दी हुई है, उनका कब्जा अरसा दराज से इन्ही के पास चला आ रहा है तथा इनके द्वारा सुधार कार्य करवाया गया है। कुछ समय पूर्व मनमुटाव हो जाने से मन प्रतिवादीया ने राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज होने से विक्रय करने का प्रयास किया, जिस पर वादी द्वारा दावा पेश किया गया, इस पर पंचायत होने पर मन प्रतिवादीया ने वादी का व प्रतिवादी सं0 34 का हक स्वीकार कर लिया है तथा इनको खातेदार घोषित करने में अब मन प्रतिवादीया को कोई आपति नहीं है । वाद पत्र की चरण सं0

Gautam

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

तकमीली है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि मनमुटाव हो जाने से ही वादी का दावा करना पडा है, मन प्रतिवादीया को दावा डिक्री करने में कोई आपति नहीं है। मन प्रतिवादीया अरसा दराज से नारनौल (हरियाणा) में निवास कर रही है तथा उसने उपरोक्त आराजी को पारिवारिक समझौता के उपरांत कभी काश्त नहीं किया बल्कि कब्जा वादी व प्रतिवादी सं0 3, 4 का ही चला आ रहा है। वाद पत्र की चरण सं0 7 कानूनी है, चाहा गया अनुतोष से मन प्रतिवादीया को कोई आपति नहीं है।

**वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार** हम मिकरान आपस में नजदीकी रिश्तेदार है तथा पंचायत व मिलने वालों ने हमारा आपस में राजीनामा करवाया है, जिसके अनुसार प्रतिवादी सं0 1 शीला देवी उर्फ सुशीला देवी के नाम से चक 4 ई छोटी के खाता सं0 44/42 वर्तमान खाता सं0 59/44, मु० न० 14, 15, 16, 20, 29 की कुल 25.301 है0 में से 1139/25301 हिस्सा अर्थात् 1.112 है0 खातेदारी दर्ज है में से 4/6 हिस्सा का खातेदार वादी हरदत सिंह को व 1/6 हिस्सा का खातेदार सनपति पत्नी अनूप सिंह को पारिवारिक समझौता के अनुसार भूमि मिली होने के कारण घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से 4/6 हिस्सा व प्रति0 सं0 4 के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज की जावे तो प्रतिवादी सं0 1 को इसमें कोई आपति नहीं है, कब्जा इसी अनुसारवादी व प्रतिवादी सं0 4 का मौके पर चला आ रहा है। यह भी दर्ज रहे कि प्रतिवादी सं0 1 की उपरोक्त भूमि में से 1/6 हिस्सा का कब्जा प्रतिवादी सं0 3 के पास ही है। लिहाजा यह राजीनामा पेश है कि इस अनुसार दावा डिक्री किया जावे, खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

**प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम वाद पत्र के शीर्षक से कमलजन किया गया।**

**तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।**

**वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।** वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 4 ई छोटी, पटवार हल्का 2 एमएल खाता सं0 59/44 का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

Gautam

## –:: आदेश ::–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 ीला देवी उर्फ सुशीला देवी के नाम से चक 4 ई छोटी के खाता सं0 44/42 वर्तमान खाता सं0 59/44, मु० न० 14, 15, 16, 20, 29 की कुल 25.301 है0 में से 1139/25301 हिस्सा अर्थात् 1.112 है0 खातेदारी दर्ज है में से 4/6 हिस्सा का वादी हरदत सिंह पुत्र इन्द्रसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है व 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 4 सनपति पत्नी अनूप सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24.12.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
**उपखण्ड अधिकारी एवम्**
**पदेन सहायक कलक्टर,**
**श्रीगंगानगर**